(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 256।-तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.7.2015 - पारित व्दारा तहसीलदार, करैरा जिला शिवपुरी - प्रकरण क्रमांक 34 अ 70/2014-15

परमाल सिंह पुत्र प्रेमी जाटव
फिल्टर रोड करैरा जिला शिवपुरी ---आवेदक

विरूद्ध

पवन पुत्र जगदीश यादव
ग्राम काली पहाड़ी कृषक कस्वा करैरा ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री सुश्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)

<u>अ ा दे श</u>

(आज दिनांक)0 नवम्बर, 2015 को पारित)

तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 34 अ 70/ 2014-15में पारित आदेश दिनांक 30.07.2015 के विरूद्ध यह निगरानी म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार करैरा को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि उसके नाम कस्वा करैरा में कुल किता 08 कुल रकबा 0.670 हैक्टर भूमि है। सर्वे क्रमांक 2357 के रकबा 0.050 है. पर आवेदक ने जबरन अवैध कब्जा कर लिया है इसलिये उसका कब्जा हटवाया जाकर कब्जा दिलाया जावे। तहसीलदार करैरा ने

प्रकरण कमांक 34 अ 70/ 2014-15 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30.07.2015 पारित करके आवेदक व्दारा अनावेदक की भूमि पर किये गये कब्जे को एक सप्ताह में हटाकर सौंपे जाने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार करैरा के प्रकरण कमांक 34 अ 70/ 2014-15 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक ने उसके नाम की भूमि सर्वे कमांक 2357 के रकबा 0.050 है. पर आवेदक व्दारा अवैध कब्जा करना बताते हुये कब्जा वापिस दिलाने की मांग की है एंव दूसरा आवेदन देकर बताया कि उसके स्वत्व की भूमि पर आवेदक व्दारा अवैध निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया है जिसे रोका जावे। मौके की तात्कालिक स्थिति को ध्यान में रखकर तहसीलदार करैरा ने अंतरिम आदेश दिनांक 16-4-15 से निर्माण कार्य पर रोक भी लगाई है, जिसकी प्रतिलिपि आवेदक को भी पृष्ठांकित की है एंव सुनवाई हेतु पेशी 7-4-15 नियत कर नोटिस भी जारी किया है। आवेदक तहसीलदार के समक्ष सुनवाई हेतु अभिभाषक श्री प्रदीपकुमार जोशी के साथ 7-4-15 को उपस्थित हुआ है एंव बचाव में संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन देकर आपत्ति दर्ज कराई है तथा आगामी तिथि 24-4-15 को बचाव में अनावेदक के दावे का उत्तर प्रस्तुत किया है। तहसीलदार ने मौके की जांच राजस्व निरीक्षक से कराई, जिसमें अनावेदक की वादोक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा होना पाया गया है, तदुपरांत आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अंतरिम

आदेश दिनांक 30.07.2015 से आवेदक व्दारा अनावेदक की भूमि पर किये गये कब्जे को एक सप्ताह में हटाकर सौंपे जाने के आदेश दिये हैं, जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 34 अ 70/ 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2015 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर